

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](http://www.govtprint.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025—फालुन 5, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्रमांक एफ ए 3-47/2017/1/पांच(08) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 19) की धारा 9 उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-47/2017/1/पांच/(59) दिनांक 07 दिसम्बर, 2018, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, स्तंभ (3) में, "कोई भी व्यक्ति" शब्दों के पश्चात, "जो कि निगमित निकाय नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) क्रम संख्या 5कछ के समक्ष, स्तंभ (4) में, "कोई भी पंजीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात, "जो कि संयोजन उद्घाटन के अंतर्गत केंद्रीय कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी, 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्र. एफ ए-3-47-2017-01-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-47-2017-01-पांच (08), दिनांक 24 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 24<sup>th</sup> February 2025

No. F A 3-47/2017/1/V(08) : In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A-3-47/2017/1/V (59) dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(A) against serial number 4, in column (3), after the words "Any person", the words "other than a body corporate" shall be inserted.

(B) against serial number 5AB, in column (4), after the words "Any registered person", the words "other than a person who has opted to pay tax under composition levy" shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 16<sup>th</sup> day of January, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.